SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13.05.2023

बीमित को प्रतिकर राशि दिलवाये जाकर प्रकरण का समझाईश से हुआ निस्तारण

प्रकरण में नियोजन के दौरान मृतक की मृत्यु हो जाने पर वास्ते प्राप्त करने प्रतिकर याचिका श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर में प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 22.09.20222 को प्रस्तुत की गई। जिसमें बीमा कम्पनी एवं प्रार्थीण के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवाया जाकर बीमा कम्पनी की ओर से प्रतिकर की राशि 7,25,000/– रूपये अदा करने पर सहमति बनी और प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया गया।

धारा 138 एन.आई. एक्ट के 2014 से लम्बित प्रकरण का समझाईश से हुआ निस्तारण

वर्ष 2014 से धारा 138 एन.आई. एक्ट का प्रकरण न्यायालय में लम्बित था। उक्त प्रकरण में मुताबिक परिवाद पत्र परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य व्यापारिक सम्बंध थे तथा साथ मिलकर प्रोपर्टी की खरीद फरोक्त का सामूहिक रूप से कारोबार करते थे। अभियुक्त ने परिवादी से दिनांक 20.10.2013 को कोई सम्पत्ति खरीदने की बात की तो परिवादी ने इन्कार कर दिया जिस पर अभियुक्त ने उक्त प्रोपर्टी स्वयं के स्तर पर खरीदने की बात परिवादी के समक्ष रखी तथा उस के पास वांछित रकम नहीं होने के कारण परिवादी से 24,00,000/– रूपये बतौर उधार मांगे। चूंकि परिवादी एवं अभियुक्त साझा रूप से भी प्रोपर्टी खरीद फरोक्त का व्यापार करते थे एवं आपस में लेन–देन करते रहते थे तो उस विश्वास में परिवादी ने अभियुक्त को उक्त रकम उधार दे दी तथा परिवादी ने अपने पी.एन.बी. बैंक के खाते का चैक अमानत के तौर पर दे दिया। कुछ दिन बाद अभियुक्त ने परिवादी से कहा कि मेरे पास फरवरी में पैसों का इन्तजाम नहीं हो रहा, एक माह बाद चैक बैंक में लगाये। परिवादी द्वारा एक माह बाद जब चैक को भुगतान हेतु बैंक में लगाया तो अभियुक्त ने उक्त चैक नम्बर को अपने बैंक में परिवादी की रकम हडपने की नियत से स्टॉप पेमेंट किया हुआ

था। जिस पर परिवादी द्वारा वकील के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस दिया गया तथा अन्दर मियाद परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त प्रकरण में न्यायालय एवं काउन्सलर द्वारा माध्यक से पूर्व में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य आपीस सहमति से प्रकरण निस्तारित किये जाने के प्रयास किये गये। 2–3 बैठकों में दोनों पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास किये गये।

अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, थानागाजी एवं काउन्सलर द्वारा दोनों पक्षकारों के मध्य समय देकर कई बैठकों का आयोजन किया गया जिस पर उनकी मेहनत रंग लाई जिस पर उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों पक्षकारों द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण में राजीनामा किया गया।

किराया नियण्त्रण अपील का लोक अदालत में हुआ निस्तारण

जिला न्यायालय हनुमानगढ में किराया नियन्त्रण अपील वर्ष 2017 से लम्बित थी। अपीलार्थी की ओर से धारा 6 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के आदेश/निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रत्यर्थी की ओर से परिसर दिनांक 08.12.1993 को 60,000/– वार्षिक की दर से किराये पर अनुबंध निष्पादित करने के आधार पर पुनःरक्षित याचिका प्रस्तुत की गई थी। उक्त प्रकरण में राजीनामा की संभावनाओं को देखते हुए लोक अदालत बैंच द्वारा पक्षकारान के मध्य समझाईश की गई। लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। मुताबिक राजीनामा परिसर का रिक्त कब्जा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को सौंप दिया गया है। प्रकरण का राजनीमे से निस्तारण होने से दोनों पक्षों सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा है।

वर्ष 2011 से लम्बित प्रकरण का लोक अदालत की भावना से हुआ निस्तारण

प्रकरण न्यायालय में वर्ष 2011 से लम्बित चल रहा था। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश पेश किया था, जिस पर न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड द्वारा पिछले छः माह से आपसी समझाईश हेतु निरंतर प्रत्येक पेशी पर अथक प्रयास किया गया। सतत प्रयास किये जाने से पक्षकारान द्वारा दिनांक 11.05.2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समझौता होना स्वीकार किया गया। इस

प्रकार 12 वर्ष पुराने प्रकरण का राजीनामे की भावना से लोक अदालत दिनांक 13.05.2023 में निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में समझाईश से परिवार आई खुशहाली

पारिवारिक न्यायालय में लगभग 05 वर्ष से लंबित प्रकरण पारिवारिक मूल विवाद में समझाईश कराये जाने के बाद बिछडा हुआ परिवार एक हुआ एवं परिवार में खुशहाली आई। इस प्रकरण को दो बार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर में रखा गया। लम्बे प्रयासों से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में यह प्रकरण पारिवारिक न्यायालय की बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैंच के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के मध्य समझाईश करवाई एवं उससे प्रेरित होकर दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा पेश किया एवं जाहिर किया कि वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते एवं प्रकरण को न्यायालय से वापिस ले लिया एवं दोनों पति–पत्नी ने आपस में राजीनामा कर पारिवारिक विवाद का निस्तारण किया।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"